

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

उ

अतारंकित प्रश्न ख : 1394

03 , 2020

प्रश्न त

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी

1394. श्री संजय सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के ग्रामीण समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों की संख्या में लगभग 81 प्रतिशत की कमी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि गांवों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग 3000 चिकित्सक कम हैं?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य त्र (श्री क्षेत्र)

(क) से (ग) सावजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती सहित सभी प्रशासनिक तथा कार्मिक मामले संबद्ध राज्या सरकारों द्वारा देखे जाते हैं। सावजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य मानव संसाधनों की कमी प्रत्येक राज्य में उनकी नीतियाँ तथा प्रसंग के कारण भिन्न-भिन्न होता है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों संघ शासित राज्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में सम्पूर्ण उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य मानव संसाधन (विशेषज्ञ चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं) की भर्ती सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या के सुदृढीकरण हेतु राज्यों/संघ शासित राज्यों को वित्तीय तथा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है।

राज्यों/संघ शासित राज्यों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी 2018-19 (31 मार्च, 2019 तक) के अनुसार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञों तथा डॉक्टरों की अपेक्षाओं तथा कमियों के राज्य/संघ शासित राज्य वार विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं:-

देश म सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों म विशेषज्ञों तथा ग्रामीण क्षेत्र म प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों म डॉक्टरों को कमी/अपेक्षा के राज्य/संघ शासित राज्य वार विवरण।

(31 मार्च, 2019 तक)

क्र.	राज्य/केन्द्र शासित	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों म विशेषज्ञ		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों म डॉक्टर	
		क्षे		क्षे	
1	आंध्र प्रदेश	560	323	1145	*
2	अरुणाचल प्रदेश	252	248	143	27
3	असम	708	572	946	*
4	बिहार	600	518	1899	*
5	छत्तीसगढ़	680	619	792	471
6	गोवा	20	15	24	*
7	गुजरात	1448	1330	1476	*
8	हरियाणा	460	445	379	*
9	हिमाचल प्रदेश	348	343	586	100
10	जम्मू और कश्मीर	336	94	622	*
11	झारखंड	684	618	298	*
12	कनाटक	792	327	2127	16
13	केरल	908	873	848	*
14	मध्य प्रदेश	1236	1132	1199	146
15	महाराष्ट्र	1456	971	1828	*
16	मणिपुर	92	89	90	*
17	मेघालय	112	108	118	*
18	मिजोरम	36	36	59	*
19	नागालैण्ड	84	76	126	*
20	ओडिशा	1508	1272	1288	475
21	पंजाब	356	263	416	*
22	राजस्थान	2284	1829	2082	150
23	सिक्किम	8	8	29	*
24	तमिलनाडु	1540	1361	1422	*
25	तेलंगाना	340	82	636	*
26	त्रिपुरा	72	70	108	*
27	उत्तराखंड	268	241	257	*
28	उत्तर प्रदेश	2716	2232	2936	*

29	पश्चिम बंगाल	1392	1321	908	98
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	16	16	22	*
31	चंडीगढ़	0	0	0	0
32	दादर नागर हवेली	8	8	9	*
33	दमन और द्वीप	0	0	4	1
34	दिल्ली	0	0	5	0
35	लक्षद्वीप	12	12	4	*
36	पुदुचेरी	8	7	24	*
	कुल भारत	21340	17459	24855	1484

*: कुछ राज्यों/संघ शासित राज्यों में डॉक्टरों की अपेक्षित संख्या से अधिक डॉक्टर हैं।

नोट:- 1. आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चार विशेषज्ञ डॉक्टर

2. आईपीएचएस मानदंडों के अनुसार प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक डॉक्टर।

3. कुछ राज्यों/ संघ शासित राज्यों में डॉक्टरों की अधिक संख्या को नजर अंदाज करने के कारण राज्यों/संघ शासित राज्यों में कमियों के अखिल भारतीय आंकड़े।

4. सजन, ओबी तथा जीवाई फिजिशियन तथा पेडियाट्रिसियन सहित विशेषज्ञ।
